वित्तीय हानि रोकने के लिए तीन सूत्री कार्यक्रम अपनाने के निर्देश
विद्युत वितरण निगमों में राजस्व वसूली बढ़ाई जाएं

जयपुर 15 जून। राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों लगातार बढ़ रही वित्तीय हानि को राकने के लिए तीन सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्वित सख्ती से करने के निर्देश दिये गये। इसके लिए फीडर सुधार कार्यक्रम के साथ ही बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस गतिविधियों में तेजी लाने ओर एनर्जी ऑडिट को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करके राजस्व वसूली बढ़ाने पर जोर दिया गया है।

यह निर्देश बुधवार को विद्युत भवन में आयोजित विडियों कोंफ्रेंस के माध्यम से दिये गये जिसमे यह भी स्पष्ट किया गया कि विद्युत निगमों के अधिकारी ओर कर्मचारी अपने स्तर पर विद्युत हानि को कम करने में जुट जाएं अन्यथा अधिक हानि वालें क्षेत्रों को फ्रेचाइजी पर देनें पर विचार करना पड़ सकता है।

विडियो कॉफ्रेस में मुख्य रूप से प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस गतिविधियों को तेज करने पर जोर दिया गया ओर कहा गया कि अभी तक हुई विजिलेंस चेकिंग के वांच्छित परिणाम सामने नही आए है। डिस्कॉम अध्यक्ष श्रीमत पाण्डेय ने इस कार्य में तेजी लाने के साथ ही कहा कि यह भी देखा जाएं कि इससे विद्युत उपभोक्ता अनावश्यक रूप से परेशान नही हो ओर राजस्व वसूली में सुधार आएं।

तीनों विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों की इस विडियों कोंफ्रेंस में बताया गया कि मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष में ही राजस्व वसूली में निगम बहुत पिछड़ गये है ओर चालू वित वर्ष में भी बकाया बढ़ती जा रही है, इसके लिए सभी अधिकारियों से कहा गया कि वे राजस्व वसूली के काम को गति दें ओर अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की कार्यवाही करें, साथ ही यह भी देखें कि जिनके कनेक्शन कट गये है उन्होंने दूसरा कनेक्शन तो नही ले लिया या वैकल्पिक माध्यम से बिजली तो नहीं ले रहे है।

विडियों कोंफ्रेंस में कहा गया कि औद्योगिक क्षेत्रों में छीजत का लक्ष्य दो प्रतिशत रखने के उपाय किये जाये वही आने वाले 18 महीनों में सभी शहरी क्षेत्रों में छीजत 15 प्रतिशत लाने के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएं। जैसा कि उदय योजना को अपनाते समय राज्य सरकार ने तय किया था।

प्रमुख सचिव ऊर्जा संजय मल्होत्रा ने कहा कि उदय योजना के तहत राज्य सरकार ने विद्युत वितरण निगमों का साठ हजार करोड़ रूपये का कर्जा अपने ऊपर लिया है ओर विश्व बैंक ने छीजत कम करने की शर्त पर तीन हजार करोड़ का कर्ज देने पर सहमति दी। उनका कहना था कि वितरण निगम 18 महीने में वित्तीय हानि कम करने का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगें तो सरकार से और मदद मिल सकेगी।

डिस्कॉम अध्यक्ष ने कहा कि विजिलेंस गतिविधियों को निर्धारित लक्ष्य तैयार करके कार्य किया जाएं ओर वीसीआर भरने के बाद मामलों का निस्तारण समयबद्ध तरीके किया जाएं। उन्होंने कहा कि बिजली चोरी के मामलें में निगम कर्मचारी शामिल पाये जाए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएं।

विडियों कॉफ्रेंस में राजस्थान विद्युत वितरण प्रबन्धन उत्तरदायित्व अधिनियम पर भी चर्चा की गई ओर इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जन प्रतिनिधियों ओर निगम कर्मचारियों का सहयोग लिया जाएं।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान–

प्रावधान के अनुसार वितरण निगमों को वित्तीय हानि में कमी करना, एनर्जी ऑडिट एण्ड अकाउन्टिंग, फीडर मीटिंरिग ओर कन्जूमर इंडेक्सिंग, वास्तविक मीटर रिडिंग के आधार पर बिल जारी करना, पुरानी बकाया राशि की वसूली समय पर, दरों में संशोधन के लिए याचिका समय पर दाखिल करना, भौतिक सत्यापन एवं दो वर्ष में स्थाई सम्पतियों का रजिस्टर तैयार करना।

.....